रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 173] नई दिल्ली, शनिवार, जलाई 1, 1972/आषाढ 10, 1894

No. 173] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 1, 1972/ASADHA 10, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st July 1972

G.S.R. 326(E).—In exercise of the powers conferred by sub section (2) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 149/72-Central Excises, dated the 1st June, 1972, the Central Government hereby fixes a tariff value of two hundred and ten rupees per quintal for sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the said Act and chargeable with duty *ad valorem*.

Provided that nothing contained in this notification shall apply to sugar required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

[No. 159/72-CE/F. No. 7/4/72-CX. 1.]

S. R. NARAYANAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1972

सा० का० नि० 326 अ.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 1 जून 1972 की अधिसूचना संख्या 149/72 के० उ० शु० को अतिष्ठित करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 1 की उपमद संख्या (1) के अन्तर्गत आने वाली और मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य चीनी के लिए दो सौ दस रूपए प्रतिक्विंटल टैरिफ मूल्य एतद्द्वारा नियत करती है ।

परन्तु इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई भी बात केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (च) के अधीन बिक्री की जाने के लिए अपेक्षित चीनी पर लागू नहीं होगी ।

[संख्या 159/73) के0उ०शु0/फ. 0सं 07/4/72-के०उ०शु०]

एस० आर० नारायणन्,
अवर सचिव

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
1972